न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/47
दायरा तिथि : 07.01.2025
आदेश तिथि : 15-01-2025
प्रार्थी :– श्री अशोक पुत्र हिम्मतमलजी जाति जैन निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली राज.

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजरथान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1228 रकबा 0.37 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1409/1314 रकबा 3.8875 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे भू.अ. निरीक्षक, बेडा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भू.अ.निरीक्षक, वृत्त बेडा ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/एसपीएल/2025 दिनांक 13.01.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। भू.अ.निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि में आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। खातेदार उपरोक्त खातेदारी खसरा नंबर में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1409/1314 से ही आना जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है। (संलग्न नक्शें में प्रस्तावित अन्य वैकल्पिक रास्ता ए से बी तक पहाडी नुमा व उबड–खाबड भूमि होने से)
3. यह है कि ग्राम मोरी बेडा स्टे. में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1409/1314	3.8875 हैक्टर	बा. दो.	254X9=2286 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. रास्ते के लिए प्रस्तावित भू–भाग में मौजा मोरी बेडा स्टे. के खसरा नंबर 254X9=2286 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आयेगी।
5. यह कि प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 130000 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे भू.अ.निरीक्षक, वृत्त बेडा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। भू.अ.निरीक्षक, वृत्त बेडा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/47
अनवान अशोक बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1228 रकबा 0.37 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से भू.अ.निरीक्षक, वृत्त बेडा ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/एसपीएल/2025 दिनांक 13.01.2025 से आवेदित रास्ता एंव वैकल्पिक रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट पेश की है। भू.अ.निरीक्षक, वृत्त बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता में दर्शाये गये ए से बी रास्ता पहाडीनुमा व उबड खाबड रास्ता होने से वैकल्पिक रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। अतः भू.अ.निरीक्षक, वृत्त बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता दिया जाना ही न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1228 रकबा 0.37 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1409/1314 रकबा 3.8875 हैक्टर में से **2286 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **भू.अ.निरीक्षक, वृत्त बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 130000 /-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1409/1314	3.8875 हैक्टर	254X9=2286 वर्गमीटर	13	29718X2=59436	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 59436/- (अक्षरे उनसाठ हजार चार सौ छत्तीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू-अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर ए एस
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
21.01.2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/43-47
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री अशोक पुत्र हिम्मतमलजी जाति जैन निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली राज. को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 11/01/2025 12:15:27 PM

जिला : पाली तहसील : बाली भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

पटवारी हल्का : दूदनी ग्राम : मोरी बेडा स्टेशन

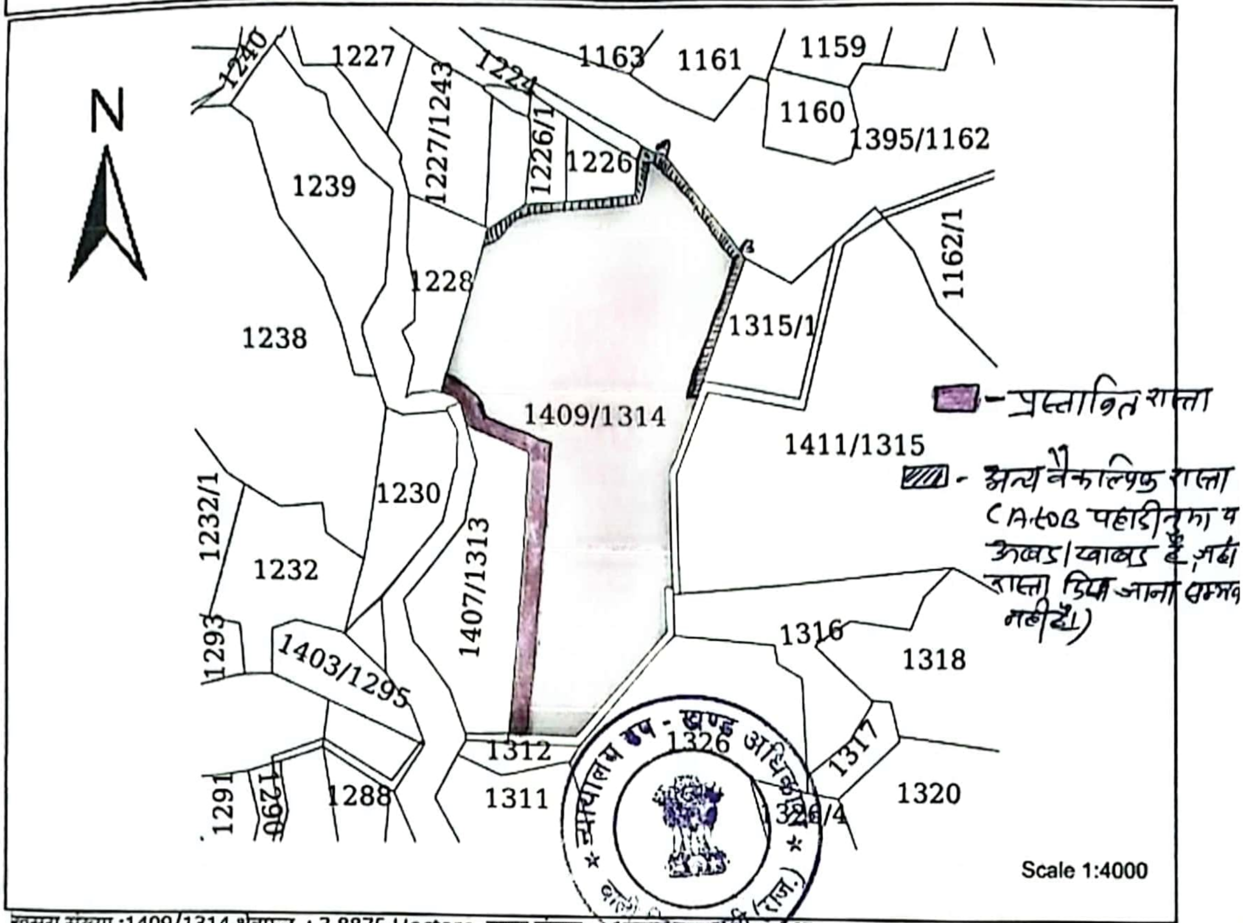

खसरा संख्या :1409/1314 क्षेत्रफल : 3.8875 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या :67

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

राज. सरकार

ILR-Beda

प. दूदनी

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

CamScanner